संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक /टीसी/132/कटनी/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- /01/2023

प्रति,

1 **कलेक्टर,**
जिला कटनी (म.प्र.)।

2 **उप संचालक,**
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, कटनी (म.प्र.)।

3 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
जिला पंचायत,
जिला कटनी (म.प्र.)।

4 **आयुक्त**
नगर पालिक निगम
जिला कटनी (म.प्र.)।

विषय:- कटनी विकास योजना, 2021 में मिश्रित उपांतरण बाबत। (ग्राम चाका तहसील कटनी नगर जिला कटनी का खसरा क्रमांक 118 (118/1) कुल रकबा 0.5020 हेक्टेयर में से रकबा 0.190 हेक्टेयर)

संदर्भ:- अपर सचिव, म.प्र. शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, भोपाल का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 04/08/2022.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल द्वारा कटनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक 438 /टीसी/132/कटनी/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक 24 /01/2023

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल क वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक-24 /01/2023

क्रमांक 435 /टीसी/132/कटनी/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **कटनी** विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	ग्राम चाका तहसील कटनी नगर जिला कटनी	118 (118/1)	0.5020	0.190	कृषि एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
	कुल रकबा		0.5020	0.190		

नोट:-

1. **प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख कटनी बायपास मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30) की चौड़ाई 60.00 मीटर प्रस्तावित है, अत: मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।**

शर्त :-

1 **उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियॉ मान्य होगी।**

2 **उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं कटनी विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, कटनी को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल